

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

2022/305

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री देउ
पिता पुष्या जाति बैरवा निवासी वीरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला
हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम वीरा पटवार मण्डल वीरा के खाता संख्या 29 में चमार
दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री देउ पिता पुष्या की
ग्राम वीरा प0म0 वीरा के खाता संख्या 29 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की
वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा
करें।

उजला महावर
पटवारी
शाहपुरा (भील.)
12-3-2022
भूअ0नि0
वृत्त वीरा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भूअ.नि. के प्रार्थी श्री देउ पिता पुष्या की
ग्राम वीरा प0म0 वीरा के खाता संख्या 29 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की
सिफारिश की जाती है ।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

आदेश

तहसीलदार (भू.अ.)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिषंशा के प्रार्थी
श्री देउ पिता पुष्या की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम वीरा
प0म0 वीरा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 29 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश
दिया जाता है। अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें।

240/22
24/6/22

प्रभारी अधिकारी शाहपुरा
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)